अनुदान संख्या 98 – महिला और बाल विकास मंत्रालय
GRANT No. 98 - MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	25199,99,00				
				25258,69,00	23004,09,37	-2254,59,63
पूरक	Supplementary	58,70,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2219,19,34
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	1,00				
				45,13,00	30,24,35	-14,88,65
पूरक	Supplementary	45,12,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					14,88,65

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹225459.63 लाख) जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 तथा फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹5870.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹225459.63 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹5870.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 and constituted 9 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	399869.00			
पू.	S.	3.00	248851.71	245320.39	-3531.32
पु.	R.	-151020.29			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	244539.00			
पू.	S.	2.00	..	..	..
पु.	R.	-244541.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1835596.00			
पू.	S.	5863.00	2035030.12	2035030.11	-0.01
पु.	R.	193571.12			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants -in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	34233.00			
पू.	S.	2.00	14392.59	14392.60	+0.01
पु.	R.	-19842.41			

(I) ₹252286.00 लाख का प्रावधान (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹252186.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "समाज कल्याण – बाल कल्याण" –

(i) "अम्ब्रेला आईसीडीएस" – ₹179824.50 लाख (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "स्वायत्त निकायों को सहायता" – ₹540.00 लाख;

(ख) "समाज कल्याण – महिला कल्याण" –

(i) "स्वायत्त निकायों को सहायता" – ₹650.00 लाख;

(ii) "महिला सुरक्षा तथा सशक्तिकरण मिशन" – ₹12862.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ग) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – समाज कल्याण – बाल कल्याण" – ₹15100.30 लाख (₹0.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – आँगनवाड़ी सेवा" – ₹35564.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

प्रावधान उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹252286.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs) remained wholly unutilised under nine heads; of these ₹252186.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" -

(a) "Social Welfare-Child Welfare"-

(i) "Umbrella ICDS" - ₹179824.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹ 0.50 lakh);

(ii) "Support to Autonomous Bodies" - ₹540.00 lakhs;

(b) "Social Welfare-Women's Welfare" -

(i) "Support to Autonomous Bodies" - ₹ 650.00 lakhs;

(ii) "Mission for Protection and Empowerment for Women" - ₹12862.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Social Welfare - Child Welfare"- ₹15100.30 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.30 lakh); and

(d) "Tribal Area Sub - Plan - Anganwadi Service" - ₹35564.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh).

Provisions under the above six heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" –

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – महिला शक्ति केंद्र" – ₹5346.00 लाख; और

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – महिला शक्ति केंद्र" – ₹2299.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "बाल कल्याण–एकीकृत बाल विकास स्कीम" – ₹103436.71 लाख की बचत (₹2.35 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹194249.35 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेवा प्रदाता से क्लाउड सर्विस के लिए संविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने, स्मॉर्टफोनों की अधिप्राप्ति की धीमी प्रक्रिया, उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने, कम विज्ञापन और प्रचार, कम दौरे किए जाने, राज्य सरकारों के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेष के उपलब्ध होने तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(खा) "महिला कल्याण – महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन" – ₹22513.56 लाख की बचत (₹0.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹76184.40 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 'वन स्टाप सेंटर्स' स्कीम के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने, निर्भया निधि से वित्तपोषित स्कीम में अन्य मंत्रालयों/विभागों से मांग की प्राप्ति न होने, कम विज्ञापन और प्रचार तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(B) "Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes"-

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes-Mahila Shakti Kendra"- ₹5346.00 lakhs; and

(b) "Tribal Area Sub-Plan-Mahila Shakti Kendra" - ₹2299.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to availability of unspent balance of previous year with the State Governments.

(II) Under Major Head "2235" - "Social Welfare" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Child Welfare - Integrated Child Development Scheme (ICDS)" - saving of ₹103436.71 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹194249.35 lakhs including token supplementary grant of ₹2.35 lakhs) was due to delay in finalization of contract towards cloud service with service provider, slow process of procurement of smart phones, non-receipt of utilization certificates, less advertisement and publicity, less tours undertaken, availability of unspent balance of previous years with the State Governments and requirement of less funds by the Union Territories Governments.

(B) "Women's Welfare-Mission for Protection and Empowerment for Women" – saving of ₹22513.56 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹76184.40 lakhs including token supplementary grant of ₹0.40 lakh) was due to receipt of less proposals towards scheme 'One Stop Centre', non-receipt of demand from other Ministries/ Department in the Scheme funded from Nirbhaya Fund, less advertisement and publicity and requirement of less funds by the Union Territories Governments.

(गा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – अम्ब्रेला आईसीडीएस” – ₹21202.55 लाख की बचत (₹43200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(C) “Special Component Plan for Scheduled Castes-Umbrella ICDS” – saving of ₹21202.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹43200.00 lakhs); and

(घा) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – अम्ब्रेला आईसीडीएस” – ₹9276.41 लाख की बचत (₹18576.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(D) “Tribal Area Sub-Plan-Umbrella ICDS” - saving of ₹9276.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18576.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals towards Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana by the State Governments/ Union Territories.

(III) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:-

(का) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा – महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण मिशन” – ₹24049.18 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹34244.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ‘वन स्टाप सेंटर’ स्कीम के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने, निर्भया निधि से वित्तपोषित स्कीम में अन्य मंत्रालयों/विभागों से मांग प्राप्त न होने तथा कम विज्ञापन और प्रचार की वजह से हुई।

(A) “Central Assistance/Share - Mission for Protection and Empowerment for Women” – saving of ₹24049.18 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹34244.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to receipt of less proposals towards scheme ‘One Stop Centre’, non-receipt of demand from other Ministries/ Department in the Scheme funded from Nirbhaya Fund and less advertisement and publicity.

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – किशोरियों के लिए स्कीम” – ₹6647.79 लाख (₹9550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes-Scheme for Adolescent Girls” - saving of ₹6647.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9550.00 lakhs); and

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – किशोरियों के लिए स्कीम” – ₹1448.63 लाख की बचत (₹3900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) “Tribal Area Sub-Plan – Scheme for Adolescent Girls” – saving of ₹1448.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3900.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों द्वारा सूचित किए अनुसार लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to reduction in number of beneficiaries as intimated by the State Governments.

(IV) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(IV) Under Major Head "3602" – "Centrally Sponsored Schemes"- savings occurred under the following heads:-

(का) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा" –

(A) "Central Assistance/Share"-

(क) "एकीकृत बाल विकास सेवाएं" – ₹11928.18 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹23359.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने तथा संघ राज्य क्षेत्रों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।

(a) "Integrated Child Development Services" - saving of ₹11928.18 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹23359.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-receipts of utilisation certificates and availability of unspent balance of previous year with the Union Territories.

(ख) "महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण मिशन" – ₹5511.30 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹5626.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्भया निधि से वित्तपोषित स्कीमों के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों से मांग प्राप्त न होने तथा संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त और व्यय विवरण प्राप्त न होने के कारण हुई।

(b) "Mission for Protection and Empowerment for Women" - saving of ₹5511.30 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5626.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-receipt of demand towards schemes funded from Nirbhaya Fund from other Ministries/Departments and non-receipt of utilization certificates and statement of expenditure from the Union Territories.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – आँगनवाड़ी सेवाएं" – ₹847.52 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Anganwadi Services" - saving of ₹847.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs); and

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – आँगनवाड़ी सेवाएं" – ₹1408.34 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) "Tribal Area Sub-Plan-Anganwadi Services" - saving of ₹1408.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने तथा संघ राज्य क्षेत्रों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of utilisation certificates and availability of unspent balance of previous year with the Union Territories.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹235410.28 लाख) प्रयुक्त हो गई

2. The above savings were partly (₹235410.28 lakhs) utilized for augmenting the provision by

जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹5865.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(I) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण" –

(का) "बाल कल्याण–राष्ट्रीय लोक सहयोग तथा बाल विकास संस्थान" – ₹348.90 लाख।

(खा) "महिला कल्याण – स्वायत्त निकायों को सहायता" – ₹1699.66 लाख।

(II) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" –

(का) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा – एकीकृत बाल विकास सेवाएं (अम्ब्रेला आईसीडीएस)" – ₹184608.26 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹184608.25 लाख था।

(खा) "अनुसूचित जातियो के लिए विशेष संघटक योजना – आंगनवाड़ी सेवाएं" – ₹19721.96 लाख।

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – आंगनवाड़ी सेवाएं" – ₹29031.50 लाख।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹1488.65 लाख) जुलाई, 2018 और दिसंबर, 2018, दोनों में प्राप्त किए गए ₹4512.00 लाख के पूरक अनुदानों और कुल स्वीकृत प्रावधान का 33 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:–

re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹5865.00 lakhs under the following major heads:-

(I) Major Head "2235" - "Social Welfare" -

(A) "Child Welfare – National Institute of Public Co-operation and Child Development (NIPCCD)" - ₹348.90 lakhs.

(B) "Women's Welfare – Support to Autonomous Bodies" - ₹1699.66 lakhs.

(II) Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes" -

(A) "Central Assistance/Share – Integrated Child Development Services (Umbrella ICDS)" - ₹184608.26 lakhs. Actual excess, however, was ₹184608.25 lakhs.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Anganwadi Services" - ₹19721.96 lakhs.

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Anganwadi Services" - ₹29031.50 lakhs.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹1488.65 lakhs) constituted 33 percent of both the supplementary grants of ₹4512.00 lakhs obtained in July, 2018 and December, 2018 and of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "4235"	Major Head "4235"					
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Social Security and Welfare					
मू.	O.	1.00				
पू.	S.	4512.00		3024.35	3024.35	..
पु.	R.	-1488.65				

(I) "समाज कल्याण – बाल कल्याण – पोषण में एकीकृत शिक्षा" के अंतर्गत – ₹1.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹4512.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹4513.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के निर्माण कार्यकलापों की धीमी गति के कारण ₹1488.65 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Social Welfare - Child Welfare - Integrated Education in Nutrition" - the original provision of ₹1.00 lakh was augmented to ₹4513.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4512.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1488.65 lakhs - due to slow pace of construction activities of food testing laboratories.